अनुज्ञा–पत्र

कार्यालय जिला पंचायत–बस्ती।

पत्रांक 118 /भ0स्वी0/जि0पं0ब0/2022–23 दिनांकः–01-7-2022

श्री मनीष कुमार राय
पुत्र–श्री प्रकाश चन्द्र राय
निवासी– सहरोज
जनपद–मऊ

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 29.06.2022 के माध्यम से ग्राम–बालेडीहा तहसील–भानपुर, जनपद–बस्ती के गाटा संख्या–22/0.420 हे0 भूमि के 3700.87 वर्गमीटर में आयुश हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति चाही गयी है। विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र संख्या–117/भ0स्वी0/जि0पं0ब0 /2022–23/दिनांक 30.06.2022 के क्रम मे आयुश हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर भवन मानचित्र हेतु निर्धारित शुल्क मु0 170844.00 रूपया प्रपत्र–5 संख्या–35737 दिनांक 01.07.2022 को जमा करने के उपरान्त व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धो के साथ प्रदान की जाती है।

01– अनुज्ञा–पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि नक्शे की स्वीकृति हेतु आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत विवरण दिया गया है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शे की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, तथा किया गया निर्माण सील/ध्वस्त किया जा सकता है।

02– अनुमोदित संलग्न मानचित्र के अनुसार स्वीकृत क्षेत्रफल में ही निर्माण कार्य कराया जायेगा, एवं सुरक्षित डिजाइन निर्माण की जिम्मेदारी आपकी होगी।

03– स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्मित भवन में जल आपूर्ति एवं मल–मूत्र तथां बेकार पानी के निस्तारण की उचित व्यवस्था करना होगा।

04– भवन में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक्स ट्रान्सफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री का भण्डारण वर्जित होगा, एवं अग्नि शमन विभाग द्वारा निर्धारित मानक का पालन करना होगा।

05– जल संरक्षण एवं अग्निशमन यन्त्र की उचित व्यवस्था करनी होगी।

06– कूड़ा प्रबन्धन के लिये सालिड बेस्ट मैनेजमेन्ट में निर्धारित व्यवस्था किया जाय।

07– भवन मानचित्र का अनुज्ञा–पत्र जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा।

08– मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के उपरान्त उन सभी विभागो से जिनसे लाईसेन्स/अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तर दायित्व आपका होगा।

09– सेटबैक तथा 01 वृक्ष प्रति 100 वर्गमीटर के अनुसार लैंड स्केपिंग व कुल क्षेत्रफल का 25 प्रति त तक खुला स्थान रखना अनिवार्य होगा।

10– संलग्न उपविधि में दिये गये अन्य नियम एवं शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

11– भवन की कुल लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस आपको श्रम विभाग में स्वयं जमा करना अनिवार्य होगा।

12– मानचित्र की स्वीकृति आप द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में दी गयी शर्तो के अधीन होगी।

13– स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कार्य पाये जाने की दशा मे सी0आर0पी0सी0 की धारा–133 एवं जिला पंचायत अधिनियम–1961 की धारा–240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

1/7/22

अभियन्ता,
जिला पंचायत, बस्ती।

01/07/2022

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बस्ती।

CamScanner

कार्यालय जिला पंचायत, बस्ती।

पत्रांक 117 /भ0स्वी0/जि0पं0ब0/2022–23 दिनांकः–30-6-2022

श्री मनीष कुमार राय
पुत्र–श्री प्रकाश चन्द्र राय
निवासी– सहरोज
जनपद–मऊ

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न मानचित्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए अधोहस्ताक्षरी के निर्देशन मे कर अधिकारी, अवर अभियन्ता व अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर **ग्राम–बालेडीहा तहसील–भानपुर, जनपद–**बस्ती के गाटा संख्या–22/0.420 हे0 भूमि के 3700.87 वर्गमीटर में आयुश हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर भवन मानचित्र के स्वीकृति भू–आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो के अनुसार मु0 170844.00 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर निर्धारित शुल्क मु0 170844.00 रूपये जिला पंचायत, बस्ती के जिलानिधि खाता संख्या–520302011001446 यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विकास भवन, बस्ती मे अधिकोषित कर सूचना इस कार्यालय मे प्रस्तुत करने का कष्ट करे, अथवा कार्यालय जिला पंचायत, बस्ती मे नकद धनराशि जमा कर रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करे, जिससे आयुश हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर भवन मानचित्र स्वीकृति की अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

30/06/2022

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, बस्ती।

CS CamScanner